जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
10/2016

मुन्तकिली प्रकरण सं0 10/2016 अनवानी जगदीश पुत्र बीरबलराम जाति नायक निवासी भोमपुरा तह0 रायसिंहनगर बनाम 1–ठाकरदास पुत्र बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी भोमपुरा तह0 रायसिंहनगर 2–सुखराम पुत्र मनीराम 3–साहबराम पुत्र नानकराम 4–श्योकरण पुत्र रूपाराम 5–बिहारीलाल पुत्र शेराराम 6–मायावती पत्नि शेर सिंह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.06.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री जगमोहन आहूजा उपस्थित है। अप्रार्थी ठाकरदास उपस्थित नही है। प्रार्थी के अभिभाषक को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में लंबित प्रकरण संख्या 57/2015 अनवानी ठाकरदास आदि बनाम मायावती आदि अन्तर्गत धारा 251(क)(1) में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने के लिए अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है और इसी आधार पर खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। 1195 / 29-6-16

यह आदेश आज दिनांक 27.06.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर